राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-१) विभाग।

निदेशक,
महाविद्यालय शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक प०१३(१२) शिक्षा।ग्रु-२।७६ जयपुर, दिनांक २४ सितम्बर, १९७६

विषय:- राजकीय महाविद्यालय में विधि संकाय खोलने के सम्बन्ध में

महोदय,

निर्देशानुसार निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में सत्र १९७६-८० से तुरन्त प्रभाव से विधि संकाय प्रारम्भ किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

१-	राजकीय महाविद्यालय,	बून्दी	विधि संकाय
२-	,,	,, बारां	विधि संकाय
३	,,	,, कुरू	विधि संकाय
४	,,	,, धौलपुर	विधि संकाय
५	,,	,, कोटपुतली	विधि संकाय
६	,,	,, नागौर	विधि संकाय
७	,,	,, पाली	विधि संकाय

निर्धारित शर्तें

१ विश्वविद्यालय द्वारा इस संकाय के लिये सम्बद्धता प्रदान की जाये

२ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो तथा अन्य शर्तों की पूर्ति हो ।

कृपया इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें ।

आज्ञा से,

(ललित किशोर)
विशेषाधिकारी, शिक्षा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
२- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी, बारां। कुरू। धौलपुर। कोटपुतली। नागौर एवं पाली
३- सचिव मुख्य मंत्री। निजी सचिव शिक्षा मंत्री। राज्य शिक्षा मंत्री
४ शिक्षा (ग्रु-३) विभाग। शिक्षा ग्रु-६ विभाग।
५- आयोजना (वित्त) विभाग।

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (15)लेखा/आकाशि/05/1263 दिनांक : 12 मई, 2005

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय

चूरू

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार राज्य के कतिपय महाविद्यालयों में संचालित विधि संकाय को स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। चूंकि अभी इन महाविद्यालयों हेतु पृथक भवन बनाना सम्भव नहीं है अतः यह महाविद्यालय, वर्तमान भवन में ही स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में संचालित होंगे। यह व्यवस्था स्वतंत्र भवन उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. वर्तमान भवन का एक हिस्सा विधि महाविद्यालय हेतु तय करके उस पर राजकीय विधि महाविद्यालय का बोर्ड लगाया जावे।
2. इस स्वतंत्र भवन का एक नक्शा बना कर बी.सी.आई. को भेजने हेतु प्रस्तुत करें।
3. महाविद्यालय में प्राचार्य का स्थाई पद सृजित होने एवं नियमित प्राचार्य उपलब्ध होने तक महाविद्यालय में विधि संकाय के वरिष्ठतम व्याख्याता को "कार्यवाहक प्राचार्य" के रूप में पदस्थापित किया जावेगा।
4. विधि महाविद्यालय का पृथक पी.डी. एकाउन्ट होगा। इस पी.डी. एकाउन्ट का संधारण करने हेतु कार्यवाहक प्राचार्य को जी.एफ. एण्ड ए.आर. के नियम 3 के अनुसार अधिकार दिये जावेंगे।
5. वर्तमान महाविद्यालय के छात्र कोष से विधि के छात्रों की संख्या के आधार पर आनुपातिक राशि विधि महाविद्यालय के पी.डी. खाते में स्थानांतरित की जावे।
6. विधि महाविद्यालय में पृथक से "मूट कार्ट" की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. विधि महाविद्यालय में पृथक पुस्तकालय की स्थापना कर विद्यमान महाविद्यालय से विधि की समस्त पुस्तकें, पत्रिकायें आदि विधि महाविद्यालय पुस्तकालय में स्थानांतरित की जावें।
8. विधि महाविद्यालय के कार्यालय, पुस्तकालय एवं कक्षाओं हेतु फर्नीचर, कम्प्यूटर, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था वर्तमान महाविद्यालय द्वारा की जावेगी।
9. एक लिपिक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्तमान महाविद्यालय से विधि महाविद्यालय में लगाये जावे।
10. विधि महाविद्यालय प्रातः 7.00 बजे से 12.30 बजे अपरान्ह तक संचालित होगा।

12.5

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर